



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272759
CG-DL-E-22052026-272759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 2455]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

का.आ. 2547(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 5578 (अ) दिनांक 27 दिसंबर, 2024 द्वारा गुजरात राज्य में विसलपुर (अहमदाबाद) के पास सरदार पटेल रिंग रोड के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर ताजपुर, भाट, वासना चचरावाड़ी, कविता, चलोदा, जुवाल रूपवती, सिंधरेज, लाना, जलालपुर (गोधनेश्वर), सरंधी, करियाना, रूपगढ़, केशरगढ़, वेजल्का, सरगवाला, भोलाद, आनंदपुर, वलिंडा, अंबाली, धोलेरा, संधिदा, हेबतपुर को जोड़ने वाले और अंधेलाई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-751 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाले एनई-8 के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य में भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 2135 (अ) दिनांक 13 मई, 2025 द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-8 के किमी. 0+000 से किमी. 84+709 तक के खंड के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाने और संग्रहण करने के लिए प्राधिकरण को प्राधिकृत किया गया;

अब, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-8 के किमी.57.880 पर अतिरिक्त इंटरचेंज का प्रावधान और अधिसूचना संख्या का.आ. 2135 (अ) दिनांक 13 मई, 2025 के अधिक्रमण द्वारा केंद्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में एनई-8 के किमी 0+000 से किमी 84+709 तक के खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों

के प्रकार पर 4 लेन खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर 81.902 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-3] और 28.070 किमी (2.807 किमी [सारणी-5] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसके बाद "आधार दर" कहा जाए) के 125% की दर से शुल्क उद्धृत करती है, एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी 1 –	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृत और संग्रहीत शुल्क, किसी दो ऐसे प्लाजाओं के बीच विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु / निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2			
क्र. सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है (60 मी. से ज्यादा लंबे संरचनाओं को छोड़कर)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	किमी.9+400 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में भाट गांव)	नीचे सारणी संख्या 3 में दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%*
2.	किमी.28+868 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में जलालपुर - गोधनेश्वर गांव)		
3.	किमी.47+240 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में वेजल्का गांव)		
4.	किमी.57+880 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में भोलाद गांव)		
5.	किमी.67+216 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में पिपली गांव)		
6.	किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव)		

* प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त शुल्क प्लाजा (ओं) पर लगाया और वसूला गया उपयोगकर्ता शुल्क, उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार हो, जिसमें सा. का. नि. 107 (अ) दिनांक 04.02.2026 द्वारा जोड़ा गया परंतु भी शामिल है।

सारणी-3							
निचल सड़क की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मी से अधिक लंबाई वाले संरचनाओं को छोड़कर)							
	को	प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाजा	अंतिम बिंदु: किमी. 84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाजा
से	किमी	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर शुल्क प्लाजा	0.000	0.000	28.393	46.440	57.080	65.561	81.902
किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाजा	28.868	28.393	0.000	18.047	28.687	37.168	53.509
किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाजा	47.240	46.440	18.047	0.000	10.640	19.121	35.462
किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाजा	57.880	57.080	28.687	10.640	0.000	8.481	24.822
किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाजा	67.216	65.561	37.168	19.121	8.481	0.000	16.341
अंतिम बिंदु: किमी. 84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाजा	84.709	81.902	53.509	35.462	24.822	16.341	0.000

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :

सारणी-4				
क्र. सं.	शुल्क प्लाजा (चेनेज़) का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	किमी. 9+400 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)	नीचे दी गई सारणी 5 में 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं के लिए दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	कॉलम 3 के अनुसार दूरी का 10 गुना	उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%*
2.	किमी. 28+868 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में जलालपुर-गोधनेश्वर गांव)			
3.	किमी. 47+240 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में वेजल्का गांव)			

4.	किमी. 57+880 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में भोलाद गांव)			
5.	किमी. 67+216 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में पिपली गांव)			
6.	किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का वलेंडा गांव)			

*प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त शुल्क प्लाजा (ओं) पर लगाया और वसूला गया उपयोगकर्ता शुल्क, उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार हो, जिसमें सा. का. नि. 107 (अ) दिनांक 04.02.2026 द्वारा जोड़ा गया परंतु भी शामिल है।

सारणी-5							
शुल्क प्लाजाओं के बीच संरचनाओं की सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स [^] (> 60 मीटर लंबाई)							
	को	प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाजा	किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाजा	अंतिम बिंदु: किमी.84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाजा
से	किमी	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर शुल्क प्लाजा	0.000	0.000	0.475	0.800	0.800	1.655	2.807
किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाजा	28.868	0.475	0.000	0.325	0.325	1.180	2.332
किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाजा	47.240	0.800	0.325	0.000	0.000	0.855	2.007
किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाजा	57.880	0.800	0.325	0.000	0.000	0.855	2.007
किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाजा	67.216	1.655	1.180	0.855	0.855	0.000	1.152
अंतिम बिंदु: किमी.84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाजा	84.709	2.807	2.332	2.007	2.007	1.152	0.000

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्योरा इस प्रकार है:

सारणी-5ए					
क्र.सं.		संरचना का प्रकार	डिज़ाइन किमी	संरचना की लंबाई (किमी में)	समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)
(ए)		(बी)	(सी)	(डी)	(ई) = (डी) X 10
1	पैकेज-1	बड़ा पुल	1+024(एलएचएस) 0+971(आरएचएस)	0.078	0.780
2		आरओबी	5+695 (एलएचएस) 5+682(आरएचएस)	0.126 [0.104 (एलएचएस), 0.147 (आरएचएस)]	1.260

3		आरओबी	20+719	0.093	0.930
4		बड़ा पुल	22+561(एलएचएस) 22+547(आरएचएस)	0.178 [0.165 (एलएचएस), 0.191 (आरएचएस)]	1.780
5	पैकेज -2	आरओबी	31+410	0.172 [0.160 (एलएचएस), 0.184 (आरएचएस)]	1.720
6		बड़ा पुल	32+410	0.153	1.530
7		बड़ा पुल	60+150	0.750	7.500
8	पैकेज -3	बड़ा पुल	61+000	0.105	1.050
9		बड़ा पुल	69+315	0.413	4.130
10	पैकेज -4	बड़ा पुल	77+083	0.101	1.010
11		बड़ा पुल	78+110	0.375	3.750
12		बड़ा पुल	81+492	0.200	2.000
13		फ्लाईओवर	83+202	0.063	0.630
		कुल		2.807	28.070

3. निम्नलिखित प्रभावी लंबाई जिसके लिए शुल्क देय और संदेय होगा, निम्नानुसार है:

सारणी-6							
कुल टोल योग्य सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं की समकक्ष लंबाई सहित)							
	को	प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर	किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाज़ा	किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाज़ा	किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाज़ा	किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाज़ा	अंतिम बिंदु: किमी. 84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाज़ा
से	किमी	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
प्रारंभिक बिंदु: किमी. 0+000, किमी. 9+400 पर शुल्क प्लाज़ा	0.000	0.000	33.143	54.440	65.080	82.111	109.972
किमी. 28+868 पर शुल्क प्लाज़ा	28.868	33.143	0.000	21.297	31.937	48.968	76.829
किमी. 47+240 पर शुल्क प्लाज़ा	47.240	54.440	21.297	0.000	10.640	27.671	55.532
किमी. 57+880 पर शुल्क प्लाज़ा	57.880	65.080	31.937	10.640	0.000	17.031	44.892
किमी. 67+216 पर शुल्क प्लाज़ा	67.216	82.111	48.968	27.671	17.031	0.000	27.861
अंतिम बिंदु: किमी. 84+709, किमी. 70+730 पर शुल्क प्लाज़ा	84.709	109.972	76.829	55.532	44.892	27.861	0.000

4. विभिन्न प्रकार के यातायात आवागमन जिनके लिए वास्तविक यात्रा की दूरी के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा, निम्नानुसार हैं

सारणी 7ए - अहमदाबाद से धोलेरा की ओर जाने वाले बाएं ओर के यातायात का विवरण			
क्र.सं.	किमी (लंबाई)	से प्रवेश	को निकास
1	0+000 (0.000)	किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से प्रवेश किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)	किमी. 28+868 पर जलालपुर - गोधनेश्वर इंटरचेंज
			किमी. 47+240 पर वेजल्का इंटरचेंज
			किमी. 57+880 पर भोलाड इंटरचेंज
			किमी. 67+216 पर पिपली इंटरचेंज
			डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास {डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास को किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा। (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से निकास के लिए किमी. 84+709 तक की प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}
2	28+868 (28.868)	किमी. 28+868 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में जलालपुर - गोधनेश्वर गांव)	किमी. 47+240 पर वेजल्का इंटरचेंज
			Km. 57+880 पर भोलाड इंटरचेंज
			किमी. 67+216 पर पिपली इंटरचेंज
			डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास {डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास को किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा। (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से निकास के लिए किमी. 84+709 तक की प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}
3	47+240 (47.240)	किमी. 47+240 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का वेजल्का गाँव)	किमी. 57+880 पर भोलाड इंटरचेंज
			किमी. 67+216 पर पिपली इंटरचेंज
			डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास {डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास को किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा। (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से निकास के लिए किमी. 84+709 तक की प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}
4	57+880 (57.880)	किमी. 57+880 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में भोलाड गाँव)	किमी. 67+216 पर पिपली इंटरचेंज
			डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास {डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास को किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा। (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से निकास के लिए किमी. 84+709 तक की प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}
5	67+216 (67.216)	किमी. 67+216 (इंटरचेंज टोल प्लाजा)	डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास

	(अहमदाबाद जिले में पिपली गांव)	{डीएसआईआर में किमी. 74+974, किमी. 80+580 और किमी. 84+709 पर स्थित इंटरचेंजों से निकास को किमी. 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा। (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से निकास के लिए किमी. 84+709 तक की प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}
--	--------------------------------	--

सारणी 7बी - धोलेरा से अहमदाबाद की ओर दाहिनी ओर चलने वाला यातायात			
क्र.सं.	किमी (लंबाई)	से प्रवेश	को निकास
1	84+709 (84.709)	किलोमीटर 84+709, किलोमीटर 80+580 और किलोमीटर 74+974 पर स्थित डीएसआईआर के इंटरचेंजों से प्रवेश {किलोमीटर 84+709, किलोमीटर 80+580 और किलोमीटर 74+974 पर स्थित डीएसआईआर के इंटरचेंजों से प्रवेश किमी 70+730 (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) पर दर्ज किया जाएगा (अहमदाबाद जिले का वलिंडा गांव) उक्त 3 इंटरचेंजों से प्रवेश के लिए किलोमीटर 84+709 से प्रभावी लंबाई को ध्यान में रखते हुए}	किमी.67+216 पर पिपली इंटरचेंज किमी. 57+880 पर भोलाद इंटरचेंज किमी. 47+240 पर वेजल्का इंटरचेंज किमी.28+868 पर जलालपुर - गोधनेश्वर इंटरचेंज किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से निकास किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)
2	67+216 (67.216)	किमी. 67+216 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में पिपली गांव)	किमी. 57+880 पर भोलाद इंटरचेंज किमी. 47+240 पर वेजल्का इंटरचेंज किमी.28+868 पर जलालपुर - गोधनेश्वर इंटरचेंज किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से निकास किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)
3	57+880 (57.880)	किमी. 57+880 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में भोलाद गाँव)	किमी.47+240 पर वेजल्का इंटरचेंज किमी.28+868 पर जलालपुर - गोधनेश्वर इंटरचेंज किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से निकास किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)
4	47+240 (47.240)	किमी. 47+240 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में वेजल्का गाँव)	किमी.28+868 पर जलालपुर - गोधनेश्वर इंटरचेंज किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से निकास किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)
5	28+868 (28.868)	किमी.28+868 (इंटरचेंज टोल प्लाजा) (अहमदाबाद जिले में जलालपुर - गोधनेश्वर गाँव)	किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) किमी 0+000 (प्रारंभिक बिंदु) से निकास किमी 9+400 पर दर्ज किया जाएगा (मुख्य एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा) (अहमदाबाद जिले का भाट गांव)

5. पैरा (4) के तहत उल्लिखित विवरण के अनुसार, परियोजना राजमार्ग में प्रवेश करने वाले वाहन को प्रवेश शुल्क प्लाजा पर दर्ज किया जाएगा और प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा के बीच वाहन द्वारा उपयोग किए गए सड़क खंड के लिए निकास शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाएगा।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-8		
संदेश धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना*	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई*	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

* बशर्ते कि वापसी यात्रा करते समय उपयोगकर्ता प्रवेश और निकास के लिए समान शुल्क प्लाजा का उपयोग करे।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. त्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 4798.24 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी-13018/1/2024-पीआईयू अहमदाबाद/ई248301-]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

S.O. 2547(E).—Whereas by Gazette notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5578 (E) dated 27.12.2024 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of NE-8 starting from its junction with Sardar Patel Ring Road near Visalpur (Ahmedabad) connecting Tajpur, Bhat, Vasna Chacharavadi, Kavitha, Chaloda, Juval Roopvati, Sindhrej, Lana, Jalalpur (Godhreshwar), Sarandhi, Kariyana, Rupgadhi, Keshargadh, Vejalka, Saragvala, Bholad, Anandpur, Valinda, Ambali, Dholera, Sandhida, Hebatpur and terminating at its junction with NH-751 near Adhelai in the state of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government by notification of the Government of India number S.O. 2135 (E) dated 13th May, 2025 authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the section from Km. 0+000 to Km.84+709 of National Expressway no. NE-8 in the state of Gujarat;

Now, upon provision of additional Interchange at Km.57.880 of National Expressway no. NE-8 and in supersession of the notification bearing number S.O. 2135 (E) dated 13th May, 2025, the Central Government, hereby levies the fee on mechanical vehicles at 125% of the rate specified in Column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as “ base rate”) for net road section length of 81.902 Km [Table-3] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 28.070 km (having length of 2.807 km [Table-5]), for the use of 4 lane section on the Type of Vehicles specified in Column (1) of the Table 1 below for the use of section from Km. 0+000 to Km.84+709 of NE-8 in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza (s) for net road length specified between any two such Fee Plaza (s).

Table -2			
Sl. No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which fee is payable (Excluding Structures > 60m length)	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)	as per the distance matrix in Table No. 3 below	125%* of the base rates mentioned in Table No. - 1 above.
3.	Km.28+868 (Interchange Toll Plaza) (Jalalpur - Godhaneshvar Village in Ahmedabad District)		
4.	Km.47+240 (Interchange Toll Plaza) (Vejalka Village in Ahmedabad District)		
5.	Km.57+880 (Interchange Toll Plaza) (Bholad Village in Ahmedabad District)		
6.	Km.67+216 (Interchange Toll Plaza) (Pipli Village in Ahmedabad District)		
7.	Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District)		

*The Authority shall ensure that the user fee levied and collected at the above Fee Plaza(s) shall be in accordance with sub-rule (7) of Rule 4 of the said rules, including the proviso inserted by G.S.R. 107 (E) dated 04.02.2026.

Table 3							
Distance matrix for net road length (Excluding length of structures >60 m)							
To	Starting point: Km.0+000, Fee plaza @	Fee plaza @ Km.28+868	Fee plaza @ Km.47+240	Fee plaza @ Km.57+880	Fee plaza @ Km.67+216	End point: Km.84+709, Fee plaza @	

		Km.9+400					Km.70+730
From	Km	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
Starting point: Km.0+000, Fee plaza @ Km.9+400	0.000	0.000	28.393	46.440	57.080	65.561	81.902
Fee plaza @ Km.28+868	28.868	28.393	0.000	18.047	28.687	37.168	53.509
Fee plaza @ Km.47+240	47.240	46.440	18.047	0.000	10.640	19.121	35.462
Fee plaza @ Km.57+880	57.880	57.080	28.687	10.640	0.000	8.481	24.822
Fee plaza @ Km.67+216	67.216	65.561	37.168	19.121	8.481	0.000	16.341
End point: Km.84+709, Fee plaza @ Km.70+730	84.709	81.902	53.509	35.462	24.822	16.341	0.000

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having a length more than 60 m at the following toll plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4				
SL. No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)	As per the distance matrix for structures > 60 m length at Table 5 below	10 times of the distance as per col.3	125%* of the base rates mentioned in Table No. - 1 above.
2.	Km.28+868 (Interchange Toll Plaza) (Jalapur - Godhaneshvar Village in Ahmedabad District)			
3.	Km.47+240 (Interchange Toll Plaza) (Vejalka Village in Ahmedabad District)			
4.	Km.57+880 (Interchange Toll Plaza) (Bholad Village in Ahmedabad District)			
5.	Km.67+216 (Interchange Toll Plaza) (Pipli Village in Ahmedabad District)			
6.	Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District)			

*The Authority shall ensure that the user fee levied and collected at the above Fee Plaza(s) shall be in accordance with sub-rule (7) of Rule 4 of the said rules, including the proviso inserted by G.S.R. 107 (E) dated 04.02.2026.

Table- 5							
Distance matrix for road length of structures^ (> 60m length) between Fee Plazas							
	To	Starting point: Km.0+000, Fee plaza @ Km.9+400	Fee plaza @ Km.28+868	Fee plaza @ Km.47+240	Fee plaza @ Km.57+880	Fee plaza @ Km.67+216	End point: Km.84+709, Fee plaza @ Km.70+730
From	Km	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
Starting point: Km.0+000, Fee plaza @ Km.9+400	0.000	0.000	0.475	0.800	0.800	1.655	2.807
Fee plaza @ Km.28+868	28.868	0.475	0.000	0.325	0.325	1.180	2.332
Fee plaza @ Km.47+240	47.240	0.800	0.325	0.000	0.000	0.855	2.007
Fee plaza @ Km.57+880	57.880	0.800	0.325	0.000	0.000	0.855	2.007
Fee plaza @ Km.67+216	67.216	1.655	1.180	0.855	0.855	0.000	1.152
End point: Km.84+709, Fee plaza @ Km.70+730	84.709	2.807	2.332	2.007	2.007	1.152	0.000

^Details of structures having lengths more than 60m are as under:

Table- 5A					
S. No.		Type of structure	Design Km	Length of structure in Km	Equivalent Road length in Km
(a)		(b)	(c)	(d)	(e) = (d) X 10
1	Package-1	Major Bridge	1+024(LHS) 0+971(RHS)	0.078	0.780
2		ROB	5+695 (LHS) 5+682(RHS)	0.126 [0.104 (LHS), 0.147 (RHS)]	1.260
3		ROB	20+719	0.093	0.930
4	Package-2	Major Bridge	22+561(LHS) 22+547(RHS)	0.178 [0.165 (LHS), 0.191 (RHS)]	1.780
5		ROB	31+410	0.172 [0.160 (LHS), 0.184 (RHS)]	1.720
6		Major Bridge	32+410	0.153	1.530
7	Package-3	Major Bridge	60+150	0.750	7.500
8		Major Bridge	61+000	0.105	1.050
9		Major Bridge	69+315	0.413	4.130
10	Package – 4	Major Bridge	77+083	0.101	1.010
11		Major Bridge	78+110	0.375	3.750
12		Major Bridge	81+492	0.200	2.000

13		Flyover	83+202	0.063	0.630
		Total		2.807	28.070

3. The net effective length for which the fee shall be due and payable is as under:

Table 6							
Distance matrix for total tollable road length (Including equivalent length of structures > 60 m length)							
	To	Starting point: Km.0+000, Fee plaza @ Km.9+400	Fee plaza @ Km.28+868	Fee plaza @ Km.47+240	Fee plaza @ Km.57+880	Fee plaza @ Km.67+216	End point: Km.84+709, Fee plaza @ Km.70+730
From	Km	0.000	28.868	47.240	57.880	67.216	84.709
Starting point: Km.0+000, Fee plaza @ Km.9+400	0.000	0.000	33.143	54.440	65.080	82.111	109.972
Fee plaza @ Km.28+868	28.868	33.143	0.000	21.297	31.937	48.968	76.829
Fee plaza @ Km.47+240	47.240	54.440	21.297	0.000	10.640	27.671	55.532
Fee plaza @ Km.57+880	57.880	65.080	31.937	10.640	0.000	17.031	44.892
Fee plaza @ Km.67+216	67.216	82.111	48.968	27.671	17.031	0.000	27.861
End point: Km.84+709, Fee plaza @ Km.70+730	84.709	109.972	76.829	55.532	44.892	27.861	0.000

4. The various types of traffic movements for which the user fee will be charged on the basis of the actual distance traveled is as under:

Table 7a - Traffic plying on LHS from Ahmedabad to Dholera			
S/No.	Km (length)	Entry From	Exit To
1	0+000 (0.000)	Km.0+000 (starting point) {The entry from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)}	Jalapur - Godhaneshvar Interchange at Km.28+868
			Vejalka Interchange at Km.47+240
			Bholad Interchange at Km.57+880
			Pipli Interchange at Km.67+216
			Exit at interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 {The exit from interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length up to Km.84+709 for exit from said 03 interchanges}
2	28+868 (28.868)	Km.28+868 (Interchange Toll Plaza) (Jalapur - Godhaneshvar Village in Ahmedabad District)	Vejalka Interchange at Km.47+240
			Bholad Interchange at Km.57+880
			Pipli Interchange at Km.67+216
			Exit at interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709

			{The exit from interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length up to Km.84+709 for exit from said 03 interchanges}
3	47+240 (47.240)	Km.47+240 (Interchange Toll Plaza) (Vejalka Village in Ahmedabad District)	Bholad Interchange at Km.57+880 Pipli Interchange at Km.67+216 Exit at interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 {The exit from interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length up to Km.84+709 for exit from said 03 interchanges}
4	57+880 (57.880)	Km.57+880 (Interchange Toll Plaza) (Bholad Village in Ahmedabad District)	Pipli Interchange at Km.67+216 Exit at interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 {The exit from interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length up to Km.84+709 for exit from said 03 interchanges}
5	67+216 (67.216)	Km.67+216 (Interchange Toll Plaza) (Pipli Village in Ahmedabad District)	Exit at interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 {The exit from interchanges in DSIR at Km.74+974, Km.80+580 and Km.84+709 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length up to Km.84+709 for exit from said 03 interchanges}

Table 7b - Traffic plying on RHS from Dholera to Ahmedabad

S/No.	Km (length)	Entry From	Exit To
1	84+709 (84.709)	Entry from interchanges in DSIR at Km.84+709, Km.80+580 and Km.74+974 {The Entry from interchanges in DSIR at Km.84+709, Km.80+580 and Km.74+974 shall be recorded at Km.70+730 (Main Expressway Fee Plaza) (Valinda Village in Ahmedabad District) considering influence length from Km.84+709 for entry from said 03 interchanges}	Pipli Interchange at Km.67+216 Bholad Interchange at Km.57+880 Vejalka Interchange at Km.47+240 Jalalpur - Godhaneshvar Interchange at Km.28+868 Km.0+000 (starting point) {The exit from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)}
2	67+216 (67.216)	Km.67+216 (Interchange Toll Plaza) (Pipli Village in Ahmedabad District)	Bholad Interchange at Km.57+880 Vejalka Interchange at Km.47+240 Jalalpur - Godhaneshvar Interchange at Km.28+868 Km.0+000 (starting point) {The exit from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza)}

			(Bhat Village in Ahmedabad District)}
3	57+880 (57.880)	Km.57+880 (Interchange Toll Plaza) (Bholad Village in Ahmedabad District)	Vejalka Interchange at Km.47+240 Jalalpur - Godhaneshvar Interchange at Km.28+868 Km.0+000 (starting point) {The exit from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)}
4	47+240 (47.240)	Km.47+240 (Interchange Toll Plaza) (Vejalka Village in Ahmedabad District)	Jalalpur - Godhaneshvar Interchange at Km.28+868 Km.0+000 (starting point) {The exit from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)}
5	28+868 (28.868)	Km.28+868 (Interchange Toll Plaza) (Jalalpur - Godhaneshvar Village in Ahmedabad District)	Km.0+000 (starting point) {The exit from Km.0+000 (starting point) shall be recorded at Km.9+400 (Main Expressway Fee Plaza) (Bhat Village in Ahmedabad District)}

5. The vehicle entering the project highway will be recorded at the Entry fee Plaza and user Fee will be collected at Exit Fee Plaza for the road section used by the vehicle between Entry and Exit Fee Plazas as per details mentioned under para (4).

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-8		
Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way journey*	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys*	Fifty	One month from date of payment

* Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the return journey.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including the category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for the information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rs.4798.24 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fees realised.

[F. No. CODIV-13018/1/2024-PIU Ahmedabad/ E-248301]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.